कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 867 / 2019 / 10–11 / 908 भोपाल, दिनांक 14/3/22

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

सहायक वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः– छिन्दवाड़ा जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र (Specical Economic Zone) की स्थापना / निर्माण हेतु 8.33 हेक्टेयर वनभूमि एवं 72.407 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 80.737 हेक्टेयर भूमि मेसर्स, छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड, नागपुर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 8-16/2019-FC दिनांक 11.02.2020

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

1– शर्त क्रमांक i के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2– शर्त क्रमांक ii के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

3– शर्त क्रमांक iii (a) के पालन में निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जावेगा।

3– शर्त क्रमांक iii (b) के पालन में प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा छिनदवाड़ा जिले की तहसील सौंसर एवं पांढुर्णा के ग्राम हिवरासेनाडावार, दुधावाकला एवं गोंडीवाढोना में 83.142 हेक्टेयर गैर वनभूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरित / नामान्तरित कर दी गई है। कलेक्टर छिन्दवाड़ा का आदेश दिनांक 07.05.2018, फार्म पी–2, आदि की छायाप्रति संलग्न है।

प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। अधिसूचना जारी होने पर पृथक से आपको प्रेषित की जावेगी।

4– शर्त क्रमांक iv के पालन में आवेदक संस्थान ने वर्तमान मजदूरी दर से वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की कुल लागत राशि रू0 42108964 / – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दिनांक 25.02.2022 को जमा की जा चुकी है।

5– शर्त क्रमांक v (a) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रू0 52015772 / –यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दि0 25.02.2022 को जमा की जा चुकी है।

5– शर्त क्रमांक v (b) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अतिरिक्त एन0पी0व्ही0 का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

6– शर्त क्रमांक vi के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

7– शर्त क्रमांक vii के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दी गई गैर वनभूमि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है एवं अतिक्रमण मुक्त है, बाबत् प्रमाण पत्र संलग्न है।

8– शर्त क्रमांक viii के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर छिन्दवाड़ा का प्रमाण पत्र दिनांक 15.03.2016 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

9– शर्त क्रमांक ix के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि एड–हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दिनांक 25.02.2022 को जमा की जा चुकी है।

10– शर्त क्रमांक x से xvii तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

11– शर्त क्रमांक xviii के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावणीय स्वीकृति दिनांक 09.04.2021 की छायाप्रति संलग्न है।

12– शर्त क्रमांक xix से xxi तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

22– शर्त क्रमांक xxii के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति में उपरोक्त उल्लेखित अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

14/3/2022

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 867 / 2019 / 10–11 / 909

भोपाल, दिनांक 14/3/22

प्रतिलिपिः–

1- मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) छिन्दवाड़ा वृत्त, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
2- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
3- मेसर्स, छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड, 09 इमामबाड़ा रोड, नागपुर।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल